



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



8 ज्येष्ठ 1946 (श०)

संख्या - 16 राँची, बुधवार

29 मई, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 188-209 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक — ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

शुद्धि-पत्र

20 मई, 2024

1. विभागीय अधिसूचना सं0-06/अभि०-11/2019-1695-- दिनांक-21.03.2024 के क्रमांक 02 में श्री संजय कुमार झा के नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन "जिला अभियोजन कार्यालय चतरा" के स्थान पर "जिला अभियोजन कार्यालय, बोकारो" पढ़ा जाए ।

2. विभागीय अधिसूचना सं0-06/अभि०-11/2019-1695-- दिनांक- 21.03.2024 के क्रमांक 15 में श्री संजय कुमार सिंह के नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन "अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, तेनुघाट" के स्थान पर "जिला अभियोजन कार्यालय, बोकारो" पढ़ा जाए ।

10. उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी ।

11. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

30 जनवरी, 2024

संख्या- 502--माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा, स्व० जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 धारा 147/148/139/188/323/ 353 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है, जिसे वापस लेने का मामला सरकार स्तर पर विचाराधीन है ।

2. श्री हीरालाल माँझी, अध्यक्ष, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जिला समिति, बोकारो के पत्रांक-212, दिनांक-19.02.2020 विभाग में प्राप्त हुआ, जिसमें नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 वापस करने का अनुरोध किया गया है । उक्त कांड संख्या माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा स्व० जगरनाथ महतो के नेतृत्व में स्थानीय नीति के विरोध में किये गये आंदोलन के क्रम में दर्ज किया गया है ।

3. उपायुक्त - सह- जिलादण्डाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-443/ विधि, दिनांक-18.03.2023 एवं पत्रांक-1423/विधि, दिनांक-03.11.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा, श्री हरेश कुमार राम, सहायक लोक अभियोजक, M.P/M.L.A Court जिला अभियोजन कार्यालय, धनबाद का पत्रांक-642, दिनांक-22.02.2023 की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें **श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी लोक अभियोजक धनबाद द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत है :-**

श्री जगरनाथ महतो व अन्य के विरुद्ध दिनांक-01.06.2016 धारा-147/148/149/323/188/308/353/ 304/328 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप समर्पित की गयी है तथा उक्त तिथि (01.06.2016) को ही माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है ।

अभियुक्तगण / विपक्षी अधिवक्ता अपने ऊपर लगाये गये आरोप/आरोप गठन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में Criminal Revision 221/2018 दायर किया गया । उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 14.05.2019 के आदेश, से साक्ष्य की कमी को देखते हुए आरोपित धारा-304/149 तथा 328/149 भा०द०वि० को विलोपित कर दिया गया । तत्पश्चात माननीय अपर सत्र न्यायाधीश 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा माननीय न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश से 18.09.2019 को, आरोप गठित धारा-304/149 तथा 328/149 को विलोपित करते हुए केस अभिलेख को माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी के कोर्ट में विचारण हेतु भेज दिया गया ।

केस/इयूटी में गवाहों ने घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है जिसके कारण Cr. Revision में माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर प्रकृति के धारा-304/149 तथा 328/149 भा०द०वि० को विलोपित कर दिया गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय शिवनंदन पासवान बना म्नाज्य बिहार(A/P) 1987 SC. के आलोक में The Government Appointed SPL P.P. and on the Govt- advise, he moved an application u/s 321 CRPC before CIM Seeking court permission to withdrawal from prosecution on four grands.

P Khalid and Natrajan JJ.

Section-321 of Cr. pc. needs 3 requites to make an order under it valid.

In my opinion lack of prospect of successful prosecution in the light of evidence.

(i) वादी ने पुलिस कैपिसिटी में रहकर यह वाद दायर किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय S.C के उक्त चार बिन्दुओं में पहला बिन्दु को इस वाद में अध्ययन किया जाय तो मैं अभियोजन की ओर से यह पाता हूँ कि इस वाद में उच्च न्यायालय ने Criminal. Revision में मुख्य धारा-304/149, 328/149 को विलोपित कर दिया है और 8 गवाहों की गवाही से यह वाद Lack of prosecution की श्रेणी में आता है तथा साक्ष्य के कमी दर्शाता है । जिसे अभियोजन, उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन साबित कर सकता है, यह संदेह है ।

(ii) अतः, साक्ष्य के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यह वाद सरकार वापस कर सकती है (यह वाद सरकार चाहे तो Withdrawal योग्य है)। यह वाद राजनीतिक द्वेष से माननीय विधायक पर किया गया है ।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय का तीसरा Point के अनुसार इस वाद में Public Policy Involve नहीं है और न ही money matter Involve है तथा Public interest भी नहीं दर्शा रहा है ।

केस की वर्तमान स्थिति यह है कि उपरोक्त केस में माननीय न्यायालय श्रीमती संतोषनी मुर्मू विशेष, न्यायिक दण्डाधिकारी M.P/M.L.A Court, धनबाद के कोर्ट में अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है । कुल 8 गवाहों की गवाही हो चुकी है जिसमें 4 सरकारी तथा 4 गैर सरकारी गवाह हैं । सरकारी गवाहों ने केस का अंशतः समर्थन किया है तथा अभियुक्त गुण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं आया है । चारों गैर सरकारी गवाह पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं । Case Advance Stage में है । चार सरकारी गवाह केवल मशाल जुलूस निकालने का समर्थन किये हैं । उन्होंने घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है ।

साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय State of Kerala V/s K. Ajith S.C 510 के आलोक में सहायक लोक अभियोजक, धनबाद का मंतव्य निम्नवत है :-

(i) Immunities and Privileges: The protest against the " STHANIYA NITI" by M.L.A is proteted by immunities and Privilege under Art 194 (3) of the constitution.

(ii) Breach of previleges :- A vilation of the right and imunities granted to M.L.A. is a breach of previleges.

(iii) Sanction of the speaker: An offence which is committed by M.L.A cann't be registered by the Police without the permission of the speaker. Police Officer require authorization from the competent Authority to investigate a breach of law.

- (iv) Public Interest:- The freedom granted to M.L.A are necessary for the functionality of the Democracy and are subject to the powers of the speaker. The continues of the trail of M.L.A in absence of the sanction of the speaker lowers, the dignity amongst citizen.
- (v) Absent of mens rea: According to chargesheet, the incident occurred during a protest by the M.L.A against the "SHTANIYA NITI" This it is difficult to assess the 'reus' of the offence.
- (vi) Lack of evidence:- The statements of the witnesses under 161 of cr.p.c are vague and there is an absence of proper identification of the person involved and the participations of the alleged offence.
- (vii) The Videography/(C.D) Photographs at the incident lacks Certification under section 65 (B) of the Indian evidence Act 1872 and the admissibility of this evidence would be challenge in the trail....."

अतः, सहायक लोक अभियोजक, धनबाद का मतव्य है कि अभिलेख का अवलोकन, गवाहों का बयान तथा माननीय उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा क्रिमिनल रिभिजन में दिये गये आदेश के आलोक में यह वाद धारा-321 CRPC के अंतर्गत प्रत्याहरण (Withdrawal) योग्य है । !

4. वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि प्रासंगिक वाद के मुख्य आरोपी स्व० जगरनाथ महतो की मृत्यु हो चुकी है एवं वही धरना के नेतृत्वकर्ता थे। स्व० जगरनाथ महतो के नेतृत्व में ! स्थानीय नीति के विरोध में किये गये आंदोलन के क्रम में नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 दर्ज है । यह वाद राजनीतिक द्वेष से माननीय विधायक पर दर्ज किया गया था । वाद में Public Policy Involve नहीं हैं और ना ही Money matter Involve है तथा Public interest भी नहीं हैं । यह आंदोलन नीजि हित के लिए नहीं हैं । दर्ज किये गये कांड में साक्ष्य की कमी है । कांड वापसी से राज्य के विधिव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ।
5. अतः प्रभारी लोक अभियोजक, धनबाद का मतव्य, एवं उपायुक्त, धनबाद की अनुशंसा के आलोक में माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा, स्व० जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 धारा-147/148/139/188/323/353 'भा०द०वि० को वापस लेने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-09.01.2024 के मद संख्या-30 में स्वीकृत किया गया है ।
6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016, को प्रत्या हरित किया जाता है । तदनुसार उपायुक्त, धनबाद/बोकारो अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

21 फरवरी, 2024

संख्या-03/नि०सं०-09-80/2024 का०-1301--श्रीमती मेनका, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-816/03), निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो द्वारा उपभोग की गई अवकाश अवधि दिनांक 25.02.2019 से 08.03.2019 तक (कुल 12 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,230 तथा 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 फरवरी, 2024

संख्या-1/विविध-804/2024 का०-1180--श्रीमती शताब्दी मजूमदार, भा०प्र०से० (झा:2020), परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत दिनांक 11.01.2024 से 08.07.2024 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 मई, 2024

संख्या- 01स्था०-97/2020- 992--वि०स० । एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि वर्ष-**2023-24** के लिये झारखण्ड विधान सभा की गठित समितियों का कार्यकाल झारखण्ड विधान-सभा की नयी समितियों के गठन की तिथि तक के लिये विस्तारित किया जाता है ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 मई, 2024

संख्या-09/नि.सु.(07)-29/2017-2788--निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम-29) की धारा-25 की उप धारा (01) के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक-24.04.2023 द्वारा झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 अधिसूचित की गई है ।

उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा-3(1) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-5036, दिनांक-04.09.2023 को अवक्रमित करते हुए श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति, अपर सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को पदेन नियंत्री पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 फरवरी, 2024

संख्या-1/ विविध 8006/2005 का०-1506--श्री मस्त राम मीना, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-28.02.2024 से 25.03.2024 तक कुल 27 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 फरवरी, 2024

संख्या-4/नि०सं०-12-02/2021-20974 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री कुमार हर्ष, षष्ठम बैच (गृह जिला-भागलपुर,बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	KUMAR HARSH- (110195229044)	DC OFFICE WEST SINGHBHUM	<u>D C OFFICE</u> <u>WEST</u> <u>SINGHBHUM,</u> <u>WEST</u> <u>SINGHBUM</u> Executive Magistrate	30/07/2020	01/04/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/CAC/16

भाग 9-ख

निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ, इत्यादि।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ARADHNA DEVI, LARISSA SINGH (अन्य नाम SOMYA SUMAN) की माता, शपथ पत्र सं० 16, दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री LARISSA SINGH के नाम से जानी जायेगी।

LARISSA SINGH एवं SOMYA SUMAN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - KRISHI VIHAR, KANKE,
P.O. & P.S. - KANKE,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834006
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MANONIT REBEKA TOPNO, DEEP PRAKASH GUPTA (अन्य नाम AMAR DEEP PRAKASH) की माता, शपथ पत्र सं० 493, दिनांक 16 फरवरी, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र DEEP PRAKASH GUPTA के नाम से जाना जायेगा।

DEEP PRAKASH GUPTA एवं AMAR DEEP PRAKASH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - LAWATU TOLA,
P.O. - PUNDAG,
P.S. - JAGARNNATHPUR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHIV SHANKAR YOGI अन्य नाम ANUJ YOGI पिता SHRI SHANTI NIDHAN YOGI, शपथ पत्र सं० 26, दिनांक 6 अप्रैल, 2024 के अनुसार SHIV SHANKAR YOGI के नाम से जाना जाऊँगा ।

SHIV SHANKAR YOGI एवं ANUJ YOGI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SALUKCHAPRA,
P.O. - SALUKCHAPRA,
P.S. - NIRSA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828201
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ABHAY KUMAR अन्य नाम NIRANJAN RAM पिता BHIKHU RAM, शपथ पत्र सं० 22/519, दिनांक 20 मार्च, 2024 के अनुसार ABHAY KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

ABHAY KUMAR एवं NIRANJAN RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BAKORIA,
P.O. - POLPOL,
P.S. - MEDININAGAR,
DIST. - PALAMAU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUMITRA DEVI अन्य नाम ANITA DEVI पति Late NARAYAN DAS YADAV, शपथ पत्र सं० 1745, दिनांक 12 मार्च, 2024 के अनुसार SUMITRA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SUMITRA DEVI एवं ANITA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - SAGMA,
P.O. - KATHAR KALAN,
P.S. - DHURKI,
BLOCK - SAGMA,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MD. SAZZAD अन्य नाम HAJI MD. SAZZAD पिता SK. JAMALUDDIN, शपथ पत्र सं० 34, दिनांक 28 मार्च, 2024 के अनुसार MD. SAZZAD के नाम से जाना जाऊँगा।

MD. SAZZAD एवं HAJI MD. SAZZAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NICHE MURMA NAYASARAI,
TUNDIUL,
P.O. - NAYASARAI MURMA,
P.S. - NAGRI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUJITA TIRKEY अन्य नाम MERU TOPPO पति RAJESH TOPPO, शपथ पत्र सं० 13955, दिनांक 26 फरवरी, 2024 के अनुसार SUJITA TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी।

SUJITA TIRKEY एवं MERU TOPPO दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - MEDHO,
P.O. - KORAMBE,
P.S. - SENHA,
DIST. - LOHARDAGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUDHIR PANDEY अन्य नाम SUDHANSHU ALIAS SUDHIR PANDEY पिता YUGAL KISHOR PANDEY, शपथ पत्र सं० 300, दिनांक 18 मार्च, 2024 के अनुसार SUDHIR PANDEY के नाम से जाना जाऊँगा।

SUDHIR PANDEY एवं SUDHANSHU ALIAS SUDHIR PANDEY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - ASHOK ASHRAM, DIBDIH, DORANDA,
P.O. - DORANDA,
P.S. - DORANDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIJAY KUMAR अन्य नाम VINAY KUMAR पिता TEKLAL YADAV, शपथ पत्र सं० 667, दिनांक 6 अप्रैल, 2024 के अनुसार VIJAY KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

VIJAY KUMAR एवं VINAY KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - GOSAITOLI UPPER CHUTIA,
P.S. - CHUTIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRATIBHA SINGH अन्य नाम PAMPA BOLL पिता SRI MADHUSUDAN BOLL, पति CHANDAN SINGH, शपथ पत्र सं० 598, दिनांक 11 मार्च, 2024 के अनुसार PRATIBHA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

PRATIBHA SINGH एवं PAMPA BOLL दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - H.NO. - 16, PRAGATI HOUSE, KAMPUTA,
VILL. - GHORABANDH,
P.O. - TELCO WORK,
P.S. - GOVENDPUR, TOWN JAMSHEDPUR,
DIST. - EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SALONI AGARWAL अन्य नाम HAPPY AGARWAL पिता RAJ KUMAR AGARWAL, शपथ पत्र सं० 2081, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के अनुसार SALONI AGARWAL के नाम से जानी जाऊँगी।

SALONI AGARWAL एवं HAPPY AGARWAL दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 173U BARA NIMDIH,
OPP ZILA PARISHAD,
CHAIBASA,
PASHCHIME SINGHBHUM,
PIN - 833201,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRISHKA KHANDIT अन्य नाम PANCHAMI KUMARI पिता RADHE KHANDIT, शपथ पत्र सं० 486, दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के अनुसार PRISHKA KHANDIT के नाम से जानी जाऊँगी।

PRISHKA KHANDIT एवं PANCHAMI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - RAJAULATU,
P.O. - NAMKUM,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JOHAN TUTI, ANKITA TUTI (अन्य नाम MALINTA TUTI) का पिता, शपथ पत्र सं० 79, दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ANKITA TUTI के नाम से जानी जायेगी ।

ANKITA TUTI एवं MALINTA TUTI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BALGI,
P.O. - BINDA,
P.S. - MURHU,
DIST. - KHUNTI,
PIN - 835216
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NIRMAL KUMAR DEY, SUBHOJEET DEY (अन्य नाम SUBHA DEY) का पिता, शपथ पत्र सं० 720, दिनांक 18 मार्च, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SUBHOJEET DEY के नाम से जाना जायेगा ।

SUBHOJEET DEY एवं SUBHA DEY दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - TATI, BAZAR TAND,
P.S. - TATI SILWAY,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIRENDRA YADAV, SURYAKANT KUMAR YADAV (अन्य नाम HARIOM KUMAR YADAV) का पिता, शपथ पत्र सं० 696, दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SURYAKANT KUMAR YADAV के नाम से जाना जायेगा।

SURYAKANT KUMAR YADAV एवं HARIOM KUMAR YADAV दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - DHOBNI,
P.O. - DHURKI,
P.S. - DHURKI,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SAMSHAD AHMAD KHAN अन्य नाम SHAMSHAD KHAN पिता IRSHAD KHAN, शपथ पत्र सं० 3512, दिनांक 12 मार्च, 2024 के अनुसार SAMSHAD AHMAD KHAN के नाम से जाना जाऊँगा।

SAMSHAD AHMAD KHAN एवं SHAMSHAD KHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - ANSARI MUHALLA,
NOORI MASJID,
CHAS, BOKARO,
PIN - 827013
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MALTI DEVI, PUJA KUMARI (अन्य नाम SALONI KUMARI) की माता, शपथ पत्र सं० 8433, दिनांक 29 फरवरी, 2024 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री PUJA KUMARI (जन्म तिथि - 15 अप्रैल, 2008) के नाम से जानी जायेगी ।

PUJA KUMARI एवं SALONI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BISHUNPUR,
P.O. - KATAIYA,
P.S. - HARIHARGANJ,
DIST. - PALAMU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GANESH PRASAD MEHTA, VIDYA RANI (अन्य नाम SANJANA KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 4070, दिनांक 21 मार्च, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री VIDYA RANI के नाम से जानी जायेगी ।

VIDYA RANI एवं SANJANA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - NAGWAN,
P.O. - BARIYATH,
P.S. - KORRA,
DIST. - HAZARIBAG,
PIN - 825301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BASUDEV YADAV, SURAJDEV YADAV (अन्य नाम SURYDEV YADAV) का पिता, शपथ पत्र सं० 22, दिनांक 10 जनवरी, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SURAJDEV YADAV के नाम से जाना जायेगा।

SURAJDEV YADAV एवं SURYDEV YADAV दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - JATGHAGHRA,
P.O. - BARKANGANGO,
P.S. - BARKATTHA,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, PRAVUDAS PHILIP KERKETTA अन्य नाम PHILIP KERKETTA पिता Late BARDAN KERKETTA, शपथ पत्र सं० 12873, दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार PRAVUDAS PHILIP KERKETTA के नाम से जाना जाऊँगा।

PRAVUDAS PHILIP KERKETTA एवं PHILIP KERKETTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - HEARNGUNJ, CHANO - 1,
P.S. - SADAR,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BIBI AMINA अन्य नाम BIBI AMIMA पति MD. SAYEEM ANSARI, शपथ पत्र सं० 1004, दिनांक 9 अप्रैल, 2024 के अनुसार BIBI AMINA के नाम से जानी जाऊँगी ।
BIBI AMINA एवं BIBI AMIMA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - TABHAGHAT,
P.O. & P.S. - JASIDIH,
SUBDIVISION & DIST. - DEOGHAR,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANIL KUMAR, AADITYA RAJ (अन्य नाम PRINCE KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 203, दिनांक 4 अप्रैल, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AADITYA RAJ (जन्म तिथि - 18 जनवरी, 2012) के नाम से जाना जायेगा ।
AADITYA RAJ एवं PRINCE KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - OM NAGAR BEHIND NEEL KANTH APARTMENT,
DHAWAN NAGAR,
P.S. - GONDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RUCHITA DEVI अन्य नाम RUCHITA MANDAL पति RAVINDRA NATH MANDAL, शपथ पत्र सं० 30, दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के अनुसार RUCHITA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

RUCHITA DEVI एवं RUCHITA MANDAL दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - HOUSE NO - DT1636,
VILL. - DHURWA BALALONG,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND
